

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर

पीठासीन अधिकारी:- एन.एम. पहाडिया, आई.ए.एस., जिला कलक्टर, धौलपुर

विविध प्रार्थना पत्र नम्बर(मुकदमा नम्बर):- 20/2018 (RCMS No. 2018/00047)

उनवान:-

1. सचिव, सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, धौलपुर ————— प्रार्थी  
बनाम

1. धर्म सिंह पुत्र नथोल जाति गूजर निवासी गांव बागथर तहसील बसेडी
2. जगदीश पुत्र नथोल जाति गूजर निवासी गांव बागथर तहसील बसेडी
3. रमेश पुत्र नथोल जाति गूजर निवासी गांव बागथर तहसील बसेडी जिला  
धौलपुर ————— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 99 व 103  
राज0 सह0सोसायटी अधिनियम 2001  
के तहत ऋणी सदस्य की बैंक में रहन  
सम्पत्ति को बैंक के पक्ष में अन्तरित  
करने बाबत।

उपस्थिति:-

प्रार्थी की ओर से:- श्री फरमान वेग, प्रतिनिधि बैंक

निर्णय दिनांक:- 31.07.2018

निर्णय

प्रार्थी बैंक द्वारा एक प्रार्थना पत्र राजस्थान सह. सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण द्वारा बैंक से लिए गए ऋण की समय पर अदायगी नहीं करने के कारण अप्रार्थीगण के विरुद्ध वर्तमान में 813080/- रुपये की राशि बकाया निकल रही है। इस बकाया अवधिपार राशि की वसूली हेतु प्रार्थी द्वारा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 99 के तहत नोटिस जारी कर अधिनियम की धारा 100 के तहत आदेश जारी कर ऋण की सुरक्षा स्वरूप बैंक के पक्ष में रहन की गई कृषि भूमि की समय-समय पर 3-4 बार नीलामी कार्यवाही की गई किन्तु नीलामी कार्यवाही के दौरान किसी भी क्रेता द्वारा बोली नहीं लगाने के कारण रहन शुदा कृषि आराजी की नीलामी नहीं हो पाई जिसके कारण बैंक की बकाया ऋण राशि की वसूली संभव नहीं हो पा रही है। राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 के अन्तर्गत जो सम्पत्ति क्रेताओ के अभाव में नहीं बेची जा सके उस सम्पत्ति को सम्बन्धित संस्था की सहमति पर सम्बन्धित संस्था को अन्तरण करने के अधिकार जिला कलक्टर को उक्त अधिनियम के तहत प्रदत्त किये गये है। बैंक के



(नन्मूल पहाडिया)  
जिला कलक्टर  
धौलपुर



प्रशासक द्वारा पारित किये गये प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 15.06.2017 द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रार्थी, अप्रार्थीगण की रहन शुदा कृषि भूमि जो क्रेताओ के अभाव में नहीं बेची जा सकी है, को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 व 99 के अनुसार अपने नाम अन्तरण कराने हेतु सहमत है। अतः बैंक हितो को ध्यान में रखते हुए प्रशासक द्वारा पारित किये गये प्रस्ताव एवं अधिनियम की धारा 103 व नियम 99/100 के प्रावधानो के अन्तर्गत आदतन ऋण अदा नहीं करने वाले अप्रार्थीगण की बैंक में रहन शुदा कृषि आराजी जो नीलामी कार्यवाही में क्रेताओ के अभाव में नहीं बेची जा सकी, को प्रार्थी बैंक के नाम अन्तरण (Transfer) किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को बकाया ऋण राशि जमा कराने हेतु नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि यदि अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन/वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें।

अप्रार्थीगण को जारी नोटिस की तामील विधिवत् रूप से कराई गई। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के असालतन/वकालतन न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये।

प्रार्थी बैंक ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में कार्यालय टिप्पणी, नोटिस दिनांक 29.12.14, डिक्री आदेश 05.02.15, निष्पादन आदेश दिनांक 03.03.15, विक्रय की उद्घोषणा दिनांक 21.12.15, 28.01.16, 25.02.16, 05.05.17, मांग का नोटिस की प्रति-05, कृषि भूमि की नीलामी की सूचना, रहननामा की प्रति, जमाबन्दी सम्बत् 2071-74 ग्राम बागथर पेश की।

प्रार्थी बैंक के प्रतिनिधि की बहस सुनी गई। बैंक के प्रतिनिधि ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा बैंक से लिए गए ऋण की समय पर अदायगी नहीं करने के कारण अप्रार्थीगण के विरुद्ध वर्तमान में 813080/- रूपये (जिसमें से अवधि पार असल 301000/- रूपये, ब्याज 397176/- रूपये, द0ब्याज 54180/- रूपये वसूली व्यय 60724/- रूपये) की राशि बकाया निकल रही है। इस बकाया राशि की वसूली हेतु अप्रार्थीगण को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 के नियम 99 के तहत नोटिस जारी कर अधिनियम की धारा 100 के तहत आदेश जारी कर ऋण की सुरक्षा स्वरूप बैंक के पक्ष में रहन की गई कृषि भूमि की समय-समय पर 3-4 बार नीलामी कार्यवाही की गई किन्तु नीलामी कार्यवाही के दौरान किसी भी क्रेता द्वारा बोली नहीं लगाये जाने के कारण रहन शुदा कृषि आराजी की नीलामी नहीं हो पाई जिसके कारण बैंक की बकाया ऋण राशि की वसूली संभव नहीं हो पाई। बैंक के प्रशासक द्वारा पारित किये गये प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 15.06.2017 द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रार्थी अप्रार्थीगण की रहन शुदा कृषि भूमि जो क्रेताओ के अभाव में नहीं बेची जा सकी है, को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 व नियम 99 के

  
(नन्मूल पहाड़ेवा)  
जिला कलक्टर  
बीलपुर



अनुसार प्रार्थी अपने नाम अन्तरण कराने हेतु सहमत है। अतः बैंक हितो को ध्यान में रखते हुए प्रशासक द्वारा पारित किये गये प्रस्ताव एवं अधिनियम की धारा 103 व नियम 99/100 के प्रावधानों के अन्तर्गत अप्रार्थीगण की बैंक में रहन शुदा कृषि आराजी खसरा नम्बर 601/3284/1 व 601/3286 रकवा 24.14 बीघा बांके ग्राम बागथर का 1/4 भाग तथा खसरा नम्बर 202/3195 रकवा 4.00 बीघा, ख0नं0 204 रकवा 8.09 बीघा, ख0नं0 541 रकवा 0.08 बीघा, ख0नं0 596 रकवा 1.00 बीघा, ख0नं0 1069 रकवा 0.08 बीघा, ख0नं0 1088 रकवा 0.04 बीघा, ख0नं0 1090 रकवा 0.09 बीघा, ख0नं0 1110 रकवा 0.09 बीघा, ख0नं0 1798 रकवा 0.11 बीघा, ख0नं0 1800 रकवा 0.05 बीघा, ख0नं0 1846 रकवा 1 बीघा, ख0नं0 1849 रकवा 0.17 बीघा, ख0नं0 1879 रकवा 0.05 बीघा, ख0नं0 1881 रकवा 0.06 बीघा, ख0नं0 1883 रकवा 0.09 बीघा, ख0नं0 1886/3449 रकवा 0.14 बीघा, ख0नं0 1921 रकवा 0.10 बीघा, ख0नं0 1929 रकवा 0.14 बीघा, 1971 रकवा 0.15 बीघा, ख0नं0 1976 रकवा 0.05 बीघा, ख0नं0 2006 रकवा 0.06 बीघा, ख0नं0 2037 रकवा 0.07 बीघा, ख0नं0 2041 रकवा 0.13 बीघा, ख0नं0 2612 रकवा 1.03 बीघा, ख0नं0 2624 रकवा 0.13 बीघा किता 26 रकवा 25.12 बीघा बांके ग्राम बागथर का 3/8 भाग कुल भूमि 15 बीघा 15 विस्वा बांके ग्राम बागथर तहसील बसेडी, जो नीलामी कार्यवाही में क्रेताओ के अभाव में नहीं बेची जा सकी, को प्रार्थी बैंक के नाम अन्तरण (Transfer) किया जावे।

प्रार्थी सचिव भूमि विकास बैंक लिमिटेड धौलपुर के प्रतिनिधि की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अप्रार्थीगण द्वारा बैंक ऋण की बकाया राशि 813080/- रुपये जमा नहीं करवाई गई है तथा अप्रार्थीगण की बैंक में रहन शुदा सम्पत्ति आराजी खसरा नम्बर 601/3284/1 व 601/3286 रकवा 24.14 बीघा बांके ग्राम बागथर का 1/4 भाग तथा खसरा नम्बर 202/3195 रकवा 4.00 बीघा, ख0नं0 204 रकवा 8.09 बीघा, ख0नं0 541 रकवा 0.08 बीघा, ख0नं0 596 रकवा 1.00 बीघा, ख0नं0 1069 रकवा 0.08 बीघा, ख0नं0 1088 रकवा 0.04 बीघा, ख0नं0 1090 रकवा 0.09 बीघा, ख0नं0 1110 रकवा 0.09 बीघा, ख0नं0 1798 रकवा 0.11 बीघा, ख0नं0 1800 रकवा 0.05 बीघा, ख0नं0 1846 रकवा 1 बीघा, ख0नं0 1849 रकवा 0.17 बीघा, ख0नं0 1879 रकवा 0.05 बीघा, ख0नं0 1881 रकवा 0.06 बीघा, ख0नं0 1883 रकवा 0.09 बीघा, ख0नं0 1886/3449 रकवा 0.14 बीघा, ख0नं0 1921 रकवा 0.10 बीघा, ख0नं0 1929 रकवा 0.14 बीघा, 1971 रकवा 0.15 बीघा, ख0नं0 1976 रकवा 0.05 बीघा, ख0नं0 2006 रकवा 0.06 बीघा, ख0नं0 2037 रकवा 0.07 बीघा, ख0नं0 2041 रकवा 0.13 बीघा, ख0नं0 2612 रकवा 1.03 बीघा, ख0नं0 2624 रकवा 0.13 बीघा किता 26 रकवा 25.12 बीघा बांके ग्राम बागथर का 3/8 भाग कुल भूमि 15 बीघा 15 विस्वा बांके ग्राम बागथर तहसील बसेडी को जरिये नीलामी 3-4 बार विक्रय करने हेतु कार्यवाही की गई किन्तु क्रेताओ के अभाव में उक्त सम्पत्ति नहीं बेची जा सकी है। न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को बैंक की उक्त राशि जमा कराने हेतु नोटिस जारी किया गया। नोटिस की विधिवत् तामील अप्रार्थीगण पर करवाई

(निम्नूगल पहाड़िया,  
जिला कलक्टर  
धौलपुर)



